



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 20 नवम्बर, 1976
कार्तिक 29, 1898 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4837/सतह-वि-1--109-76
लखनऊ, 20 नवम्बर, 1976

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 17 नवम्बर, 1976 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976
[[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1976]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अप्रति संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976
कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 32 में,
उपधारा (2) में, खण्ड (घ) में, शब्द “उस सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक बोर्ड की
निधि और सम्पत्तियां उसमें निहित हों” के स्थान पर शब्द “प्रवर्तनीय होंगे” रख दिये जायेंगे।

उ०प्र० अधिनियम
संख्या 10, 1960
की धारा 32 का
संशोधन

No. 4837/XVII-V-1—109-76

Dated Lucknow, November 20, 1976

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Khadi Tatha Gram Udyog Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 39 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 20, 1976. :

THE UTTAR PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES
BOARD (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 39 OF 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature).

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Amendment) Act, 1976.

Amendment of
section 32 of U.P.
Act no. 10 of
1960.

2. In section 32 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960, in sub-section (2), in clause (d), the words "to the extent of the fund and properties of the Board vested in it" shall be omitted.

श्रीमान् से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1-खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 31 दिसम्बर, 1976
वर्ष 10, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 5252/सत्रह-वि-1-109/76

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 1976

शुद्धि-पत्र

दिनांक 20 नवम्बर, 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी-परिशिष्ट के भाग 1-खण्ड (क) में विधायिका अनुभाग-1 की उसी दिनांक की अधिसूचना संख्या 4837/सत्रह-वि-1-109/76 के द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1976) के अंग्रेजी संस्करण में, अधिसूचना की पांचवीं पंक्ति में शब्द तथा अंक "November 20, 1976" के स्थान पर शब्द तथा अंक "November 17, 1976" पढ़ा जाय।

ब्राजा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।